

बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आ०सं०-६ / एन०-०८-६२ / २०२०-.....

/ पटना-१५, दिनांक-.....

विभागीय आदेश ज्ञापांक-९३६(६), दिनांक-१२.०६.२०२३ द्वारा नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एकजामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, १९९७ के नियम-४(ii) के आलोक में हिमालया एजुकेशनल ट्रस्ट, दुसाधी पकड़ी, कंकड़बाग, पटना-८०००२० द्वारा प्रस्तावित हिमालया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, चिकित्सा, पालीगंज, पटना को जी०एन०एम० पाठ्यक्रम की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किया गया।

२ - विभागीय आदेश ज्ञापांक-९५४(६), दिनांक-१७.०६.२०२३ द्वारा संस्थान को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु डॉ० नागेश्वर प्रसाद, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

३ - विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त हिमालया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, चिकित्सा, पालीगंज, पटना को नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एकजामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, १९९७ के नियम-४ (iii) के आलोक में जी०एन०एम० पाठ्यक्रम में १०० (एक सौ) सीटों पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है:-

- (क) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों/निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी।
- (ख) नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एकजामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, १९९७ एवं समय-समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा। भारतीय उपचर्या परिषद की अहताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।
- (ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा-निर्देश के आलोक में अपना Suitability Report प्राप्त कर लेंगे।
- (घ) कुल आवंटित सीटों में से ५०% छात्र/छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।
- (ङ) नर्सिंग संस्थान बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना/ बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना से संबद्धता प्राप्त कर लेगी।
- (च) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना (ii) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

४ - इसमें माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(डॉ० अनिल कुमार तिवारी)
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6 / एन०-०८-६२ / २०२०.....**1663(6)**

पटना दिनांक **25/10/2023**

प्रतिलिपि:- सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, ८वां तल्ल, एन०बी०सी०सी० सेंटर, प्लॉट नं०-२, कम्यूनिटी सेंटर, ओखला फेज-०१, नई दिल्ली-११००२०/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना/असैनिक शाल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि:- परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- विशेष कार्य पदाधिकारी, बी०सी०ई०सी०ई०बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निबंधक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना-८००००१ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक, हिमालया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, चिकित्सी, पालीगंज, पटना-८०१११० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।
P